

किक-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :- 117/2019

निर्णय दिनांक :- 19.09.2021

उनवानी दावा:-

प्रहलाद पुत्र सुखाराम जाति रेगर उम्र 63 वर्ष निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी, सुन्दर वाटिका, टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर राज.

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल कार्यरत मेजर इन्द्रजीत गोठवाल भारतीय थलसेना जरिये दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाप, आर्मी हैड क्वार्टर्स नई दिल्ली 110011
2. रणजीत पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल कार्यरत विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, चर्च रोड़ देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. सुनिता पुत्री दुर्गालाल पत्नी श्री पृथ्वीराज जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी श्री पोखर राम जी सिंगाड़िया, रेगरो का बास, सोजत सिटी जिला पाली राज0
4. अनिता पुत्री दुर्गालाल पत्नी नरेन्द्र बालोटिया निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी श्री माधोलाल जी भट्ट, 21 सरस्वती नगर, पाली रोड़, पेट्रोल पंप/अम्बिका अस्पताल के पास जोधपुर हाल कार्यरत अनिता गोठवाल वरिष्ठ अध्यापिका, जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर राज0
5. उर्मिला पुत्र दुर्गालाल पत्नी श्री ग्यानचन्द जाति रेगर निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी प्लाट सं. 4, सुन्दर वाटिका, टोंक रोड़, सांगानेर जयपुर राज0
6. मधुलता बेवा दुर्गालाल जाति रेगर निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला नं0 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार महोदय, दूनी, जिला टोंक राज0

उपस्थिति :-

श्री छीतर सिंह नाथावत

अधिवक्ता वादी

महावीर सिंह राठोड़

जितेन्द्र कुमार शर्मा

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

B. D. S.

दावा तकासमा आराजीयात

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 28.02.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूनी में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि वाके ग्राम जलसीना पटवार हल्का सरोली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवड़ावास की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 2 में दर्ज ख. नं. 1242 रकबा 2.40 है 0 बारांनी 2 तहसील दूनी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

ग्राम जलसीना पटवार हल्का सरोली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवड़ावास की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 2 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-


क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में
1	प्रहलाद पुत्र सुखाराम रेगर सा. देह खातेदार राहिन बी. ओ.बी शाखा दूनी नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	1242	1.17
	योग	किता-1	1.17
2	इन्द्रजीत, रणजीत पुत्र सुनिता, अनीता, उर्मिला पुत्रियां मधुलता बेवा दुर्गालाल रेगर सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1242 मि.	1.17
	योग	किता-1	1.17

Q. 11/2019

प्रहलाद पुत्र सुखाराम हि. 1/2 रेगर राहिन बीओबी शाखा दूनी, इन्द्रजीत, रणजीत पुत्र सुनिता, अनिता, उर्मिला पुत्रियां मधुलता पत्नी स्व. दुर्गालाल रेगर हि. 1/2 सा. देह खातेदार	1242 मि.	0.06
योग	किता-1	0.06

संलग्न :- तहसीलदार दूनी द्वारा कुरैजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार दूनी उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी

देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक

उनवानी दावा:-

प्रहलाद पुत्र सुखाराम जाति रेगर उम्र 63 वर्ष निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी, सुन्दर वाटिका, टोंक रोड़ सांगानेर जयपुर राज.

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल कार्यरत मेजर इन्द्रजीत गोठवाल भारतीय थलसेना जरिये दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाप, आर्मी हैड क्वार्टर्स नई दिल्ली 110011
2. रणजीत पुत्र दुर्गालाल जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 हाल कार्यरत विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम, चर्च रोड़ देवली तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. सुनिता पुत्री दुर्गालाल पत्नी श्री पृथ्वीराज जाति रेगर निवासी तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी श्री पोखर राम जी सिंगाड़िया, रेगरो का बास, सोजत सिटी जिला पाली राज0
4. अनिता पुत्री दुर्गालाल पत्नी नरेन्द्र बालोटिया निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी श्री माधोलाल जी भट्ट, 21 सरस्वती नगर, पाली रोड़, पेट्रोल पंप/अम्बिका अस्पताल के पास जोधपुर हाल कार्यरत अनिता गोठवाल वरिष्ठ अध्यापिका, जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर राज0
5. उर्मिला पुत्र दुर्गालाल पत्नी श्री ग्यानचन्द जाति रेगर निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक हाल निवासी प्लॉट सं. 4, सुन्दर वाटिका, टोंक रोड़, सांगानेर जयपुर राज0
6. मधुलता बेवा दुर्गालाल जाति रेगर निवासी जलसीना तहसील दूनी जिला टोंक राज0 हाल निवासी धनवन्तरी, बंगला नं0 8/9/10 दोलता मोड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. तहसीलदार महोदय, दूनी, जिला टोंक राज0

D. D. C.

दावा बाबत विभाजन आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 117 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री छीतर सिंह नाथावत अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री महावीर सिंह राठोड़ व जितेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

ग्राम जलसीना पटवार हल्का सरोली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवड़ावास की जमाबंदी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 2 में दर्ज ख. नं. 1242 रकबा 2.40 है0 बारानी 2 तहसील दूनी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

ग्राम जलसीना पटवार हल्का सरोली भू. अभि. नि. क्षेत्र देवड़ावास की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 के खाता संख्या 2 में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में
1	प्रहलाद पुत्र सुखाराम रेगर सा. देह खातेदार राहिन बी. ओ.बी शाखा दूनी नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	1242	1.17
	योग	किता-1	1.17
2	इन्द्रजीत, रणजीत पुत्र सुनिता, अनीता, उर्मिला पुत्रियां मधुलता बेवा दुर्गालाल रेगर सा. देह खातेदार नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शित	1242 मि.	1.17
	योग	किता-1	1.17
3	प्रहलाद पुत्र सुखाराम हि. 1/2 रेगर राहिन बीओबी शाखा दूनी, इन्द्रजीत, रणजीत पुत्र सुनिता, अनिता, उर्मिला पुत्रियां मधुलता पत्नी स्व. दुर्गालाल रेगर हि. 1/2 सा. देह खातेदार	1242 मि.	0.06

(Handwritten Signature)

6:-

योग	किता-1	0.06
-----	--------	------

संलग्न :- तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस।

निजी.....मुवलिक.....बाबत्

.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना

आज की तारीख वसूलियाकि तक की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 09 सन् 2022

को जारी किया गया।

दस्तख्त *B. S. S.*

मुहर

ओहदा *उपखण्ड अधिकारी*

दस्तावेज (वै.क.)

मुददई	रु.	पै.	मुददायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।